

202- दि०-20/5/13

नगर विकास विभाग
नगर निगम, कानपुर

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7

संख्या: 1282 /नौ-7-13-31रि०/2013

लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2013

20/5/13

1654/AMC/CS
20/5/13

कार्यालय-ज्ञाप

रि० याचिका संख्या-6472(एम.बी.)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुपालन में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों, पोखरों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाने के संबंध में समस्त नगर निकायों द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण क्रियान्वयन की समीक्षा कर मासिक आख्या प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

Amek/oe (K. Singh)

(सी.बी. मालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. समस्त नगर आयुक्त।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत।
5. संबंधित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/ नगर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी।
7. जिला सूचना अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

IT Office

क. website पर
5/22/13

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर

कानपुर नगर निगम
(कार्यक विभाग)

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

पंजाब - 187/13-14/क

दिनांक - 22/05/13

समस्त विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारी

रूपानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

अपर नगर आयुक्त (क)

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या: 1281/नौ-7-13-31रिट/2013
लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-6472(एम.बी.)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुपालन में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों, पोखरों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल के संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन एतद्द्वारा निम्नवत् किया जाता है:-

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | संबंधित मण्डलायुक्त, | अध्यक्ष |
| 2. | संबंधित जिलाधिकारी | सदस्य |
| 3. | संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम | सदस्य |
| 4. | संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद | सदस्य |
| 5. | संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत | सदस्य |
| 6. | अपर आयुक्त, प्रशासन | सदस्य संयोजक |
| 7. | समस्त उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| 8. | प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय | सदस्य |
| 9. | पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 10. | मण्डलीय उपनिदेशक, सूचना | सदस्य |

2. उक्त समिति नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों आदि की जमीन पर अवैध/अतिक्रमण की सूचना जनक्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार कर के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सदस्यों से अवैध कब्जा/अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेगी।

(सी.बी. पौलीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. संबंधित मण्डलायुक्त।
2. संबंधित जिलाधिकारी।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक/मण्डल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4. अपर आयुक्त प्रशासन।
5. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम
6. संबंधित प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत
8. मण्डलीय उपनिदेशक सूचना।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7
संख्या: 1280 /नौ-7-13-31रिट/2013
लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-6472(एम.बी.)/2012 ओम प्रकाश वर्मा व अन्य बनाम राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.03.2013 के अनुपालन में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों, पोखरों, कब्रिस्तानों आदि पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाने के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक जनपद के संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन एतद्वारा निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. संबंधित जिलाधिकारी, | अध्यक्ष |
| 2. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम | सदस्य |
| 3. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद | सदस्य |
| 4. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत | सदस्य |
| 5. संबंधित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/नगर | सदस्य संयोजक |
| 6. संबंधित उपजिलाधिकारी | सदस्य |
| 7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 8. पुलिस उपाधीक्षक। | सदस्य |
| 9. जिला सूचना अधिकारी। | सदस्य |

2. उक्त समिति नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अन्तर्गत तालाबों पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों आदि की जमीन पर अवैध/अतिक्रमण की सूचना जनक्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रचार-प्रसार कर के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सदस्यों से अवैध कब्जा/अतिक्रमण की प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही करेगी।

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित जिलाधिकारी।
2. संबंधित नगर आयुक्त।
3. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद।
4. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत।
5. संबंधित अपर जिलाधिकारी, प्रशासन/ नगर।
6. समस्त उपजिलाधिकारी।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक।
8. जिला सूचना अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।